



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

पत्राक संख्या: लो०अ०वि०/ गो०वि०/ 2165 /2019

दिनांक: 04.11.2019

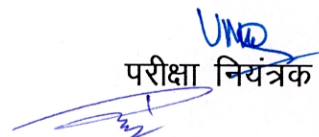
कार्यालय आदेश

वर्ष-2019 की एम०डी०एस० (भाग-एक तथा अन्तिम वर्ष) के छात्रों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-लखनऊ में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में तथा जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rmlau.ac.in के पोर्टल पर (निर्धारित शुल्क रु०: 300.00 प्रति उत्तर पुस्तिका जमाकर) दिनांक: 05.11.2019 से आगामी 15 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ यह भी सूच्य है कि एम०डी०एस० पाठ्यक्रम हेतु डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया के नियमों में पुर्नमूल्यांकन का कोई व्यवस्था/प्राविधान नहीं है।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित समस्त छात्र-छात्राएं।
2. प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त सम्बन्धित डेन्टल संस्थान।
3. प्रति-कुलपति।
4. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. श्री एस०पी०सिंह, विश्वविद्यालय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-लखनऊ।


परीक्षा नियंत्रक